संख्या:26/2021/I/78809/2021/46-1002(002)/8/2021

प्रेषक,

डॉ. रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(समस्त सम्बन्धित जनपद)

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2021

विषयः- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में **अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति)** के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यों हेतु मात्राकरण करते हुए बजट प्राविधान के सापेक्ष जनपदवार/कार्यक्रमवार वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या-कै/65-67/विकास/जि.यो21-22, दिनांक 18-05-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति) में प्राविधानित धनराशि रू. 263.48 लाख के सापेक्ष धनराशि **रू.263.47976 लाख (रूपये दो करोड़ तिरसठ लाख सैतालिस हजार नौ सौ छिहत्तर मात्र)** को, **संलग्नक** में यथा उल्लिखित जनपदवार/कार्यक्रमवार व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये नहीं किया जायेगा।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाय। इससे इतर व्यय अनियममितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रस्तर.1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-10 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित लाभार्थियों को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2022) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

(7) गन्ना आयुक्त, उ.प्र. एवं सम्बन्धित अधिकारी, गन्ना विकास विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी. हेतु नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाय।

(8) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, प्रयागराज तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, प्रयागराज से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित व्यय की जायगी आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के **अनुदान संख्या-83** के अन्तर्गत लेखा शीर्ष **"2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-गन्ना विकास योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

डॉ. रूपेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या:26/2021/I/78809(1)/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., लखनऊ।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
7. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ.प्र., इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
10. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी।
12. संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।
13. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.,।
14. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
15. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ. रूपेश कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:26/2021/I/78809/2021/46-1002(002)/8/2021, दिनांक: 12 जुलाई, 2021 का संलग्नक।

गन्ना विकास की योजना(जिला योजना) वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति) के लिए एवं वानिकी कार्य हेतु 0.50 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि की कार्यक्रमवार जनपदवार फाट

(धनराशि रूपयों में)

क्र. सं.	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम (कु.में)	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम (कु.में)	अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम (कु.में)	आधार बीज यातायात कार्यक्रम (कु.में)	मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम (हे.में)	पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम (हे.में)	बायोफर्टिलाईजर/ वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम (हे.में)	वानिकी कार्य हेतु	कुल योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	सहारनपुर	170000	480000	5115	21350	186000	135000	120000	5893	1123358
2	मुजफ्फरनगर	321000	755350	3750	37800	528000	195000	180000	10962	2031862
3	शामली	121250	306050	2025	16975	45000	52500	39000	3066	585866
योग मण्डल		**612250**	**1541400**	**10890**	**76125**	**759000**	**382500**	**339000**	**19921**	**3741086**
4	मेरठ	179800	511900	4410	25172	43000	12000	24000	0	800282
5	बागपत	55000	65625	420	6510	32000	15000	27000	0	201555
6	गाजियाबाद	27900	71450	915	3906	21000	15000	12000	0	152171
7	हापुड़	38500	107000	1305	5390	24000	15000	21000	0	212195
8	अलीगढ	15000	25000	435	1800	17500	6000	18000	0	83735
9	बुलन्दशहर	93000	230800	0	13020	115000	60000	72000	3228	587048
योग मण्डल		**409200**	**1011775**	**7485**	**55798**	**252500**	**123000**	**174000**	**3228**	**2036986**
10	मुरादाबाद	97500	237500	3000	11004	117500	60000	72000	3249	601753
11	रामपुर	63000	147000	1815	8820	60000	30000	39000	1875	351510
12	अमरोहा	120500	307300	3975	16660	144500	90000	102000	4183	789118
13	बिजनौर	302250	1208750	8340	42315	411000	195000	240000	0	2407655
14	सम्भल	73750	161275	2040	10325	72500	45000	45000	0	409890
योग मण्डल		**657000**	**2061825**	**19170**	**89124**	**805500**	**420000**	**498000**	**9307**	**4559926**
15	बरेली	154450	386425	4200	19572	145500	7500	72000	0	789647
16	बदायूं	20000	99750	525	2800	41500	12000	27000	0	203575
17	पीलीभीत	144350	368850	4695	20195	166500	120000	104400	4938	933928
18	शाहजहांपुर	134800	344500	4380	18865	155500	105000	90000	0	853045
19	कासगंज	40000	55000	375	2450	29500	9000	10800	773	147898
20	मथुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग मण्डल		**493600**	**1254525**	**14175**	**63882**	**538500**	**253500**	**304200**	**5711**	**2928093**
21	लखीमपुर खीरी	571850	1461325	18585	80045	1360500	600000	900000	0	4992305
22	सीतापुर	275000	725000	7500	38500	325000	180000	78000	8460	1637460
23	रायबरेली	5000	13000	150	700	11000	750	6000	184	36784
24	फरूर्खाबाद	16400	41925	525	2296	18500	12000	12000	664	104310
25	हरदोई	74500	189000	1275	10430	55000	37500	39000	2093	408798
26	कानपुर	2000	7875	0	280	6000	1500	3600	0	21255
योग मण्डल		**944750**	**2438125**	**28035**	**132251**	**1776000**	**831750**	**1038600**	**11401**	**7200912**
27	फैजाबाद	57500	150000	1800	8624	65000	45000	39000	1955	368879
28	सुल्तानपुर	17400	43900	525	2436	24000	12000	6000	556	106817
29	बाराबंकी	17400	46900	600	2436	19500	15000	12000	601	114437
30	जौनपुर	4800	12250	150	672	5500	3750	4200	165	31487
31	गाजीपुर	4800	12250	150	672	5500	3750	4200	165	31487
32	वाराणसी	5500	12250	210	770	4500	1500	3000	138	27868
33	अम्बेडकरनगर	25000	62500	750	3500	30000	3000	18000	0	142750
योग मण्डल		**132400**	**340050**	**4185**	**19110**	**154000**	**84000**	**86400**	**3580**	**823725**
34	गोण्डा	125900	321300	4020	17626	140700	75000	96000	4200	784746
35	बलरामपुर	147500	367500	21480	20755	165000	75000	108000	5000	910235
36	बहराईच	112500	289500	1590	7560	100000	45000	66000	3222	625372
योग मण्डल		**385900**	**978300**	**27090**	**45941**	**405700**	**195000**	**270000**	**12422**	**2320353**
37	गोरखपुर	7500	19000	270	1064	16000	6000	6000	0	55834
38	बस्ती	98000	238900	1830	13720	55000	37500	36000	2480	483430

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

39	महराजगंज	21930	52950	780	3070	41500	22500	30000	937	173667
40	सिद्धार्थनगर	5500	6000	90	770	2500	1200	1500	88	17648
योग मण्डल		**132930**	**316850**	**2970**	**18624**	**115000**	**67200**	**73500**	**3505**	**730579**
41	कुशीनगर	138400	335000	2200	19999	550000	112500	360000	8197	1526296
42	देवरिया	13000	40000	390	1995	49000	15000	42000	0	161385
43	मऊ	10000	15000	150	350	6000	4500	3000	0	39000
44	बलिया	3000	7000	75	210	3000	1500	2400	0	17185
45	आजमगढ	47500	143500	1000	5000	41000	9450	15000	0	262450
योग मण्डल		**211900**	**540500**	**3815**	**27554**	**649000**	**142950**	**422400**	**8197**	**2006316**
सम्पूर्ण योग		**3979930**	**10483350**	**117815**	**528409**	**5455200**	**2499900**	**3206100**	**77272**	**26347976**

(रूपये दो करोड़ तिरसठ लाख सैतालिस हजार नौ सौ छिहत्तर मात्र)

डॉ. रूपेश कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।